न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 44 / 2022

1 गोविन्दाराम पुत्र ईशरराम।
2 झाबरमल पुत्र ईशरराम।
3 रामदेव सिंह पुत्र ईशरराम समस्त जाति जाट निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नारायणराम पुत्र ईशरराम।
2 बनवारी पुत्र ईशरराम समस्त जाति जाट निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर।
3 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पिपराली जरिये शाखा प्रबन्धक।
4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिपराली जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आवेदन रिव्यू करने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.03.2022 आदेश दिनांक 20.04.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री गरिमा लाटा आर.ए.एस. पत्रावली बउनवानी नारायण बनाम गोविन्द आदि मुकदमा नम्बर 160 / 2019 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री हरफुल सिंह खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 31.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 160/2019 में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम सिंहासन की भूमि खसरा नम्बर 382,392,393,394,395,456 एवं ग्राम हरदयालपुरा की भूमि खसरा नम्बर 14,15,16 के विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमती के आधार पर खसरा नम्बर 750/461,749/461 को भी विभाजन में शामिल करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इस डिक्री के विरूद्व वादी/प्रतिवादी संख्या 3 के रिव्यु आवेदन को स्वीकार कर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2022 में से खसरा नम्बर 750/461,749/461 को अलग रखने का आदेश पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 24.03.2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 382,392,393,394,395,456 कुल किता 6 कुल रकबा 7.94 हैक्टेयर अवस्थित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ग्राम सिंहासन व खसरा नम्बर 14,15,16 कुल किता 3 कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर अवस्थित ग्राम हरदयालपुरा व खसरा नम्बर 750/461 व खसरा नम्बर 749/461 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 हैक्टेयर अवस्थित ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर को बंटवारा में शामिल करते हुये दोनो पक्षों में सहमती होने पर दोनो अधिवक्ताओं ने दिनांक 24.03.2022 की आर्डर शीट में हस्ताक्षर किये व न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली की आर्डर शीट में वकील उभयपक्ष सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी करने का उल्लेख करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश जारी किया गया है तथा प्राथमिक डिक्री आदेश व निर्णय में उल्लेख किया है कि प्रकरण में वकील वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने सभी भूमियों को शामिल करते हुये बंटवारा करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने पर अपनी सहमती प्रदान की है उक्त कथनों के अलावा विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री निर्णय में खसरा नम्बर 750/461 व खसरा नम्बर 749/461 अवस्थित ग्राम सिंहासन तहसील व लि सीकर का पुरा विश्लेषण किया है तथा वादी द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित भूमियों का भी प्राथमिक डिक्री में विश्लेषण करते हुये दोनो पक्षों की सहमती से प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 23.03.2022 पारित किया गया था, जिसमें किसी प्रकार की भूलवश खसरा नम्बर उल्लेख हो जाने का प्रश्न ही नही उठता है, उसके बावजूद विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.04.2022 को रिव्यू आदेश विधि विरूद्व जारी किया गया है जो निरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 4 की ओर से जवाव दावा में खसरा नम्बर 750/461 व खसरा नम्बर 749/461 बंटवारा में तामील होने व बंटवारा में शामील होने व बंटवारा में शामिल होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में समोचन करवाने का कथनों का उल्लेख किया है, जो वादी ने मोन स्वीकृति से स्वीकार किया है तथा प्राथमिक डिक्री मे भी पूर्ण सहमती प्रदान की है, उसके बावजूद वादी के मन में बेईमानी आने के कारण सहमति से जारी प्राथमिक डिक्री में रिव्यू आवेदन पेश करने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2022 को उक्त खसरा नम्बर हटाने का आलोच्य रिव्यू आदेश जारी किया गया है। दोनो पक्ष की सहमती से जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.03.2022 में

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई टंकणीय भूल नही थी, जबकि दोनो पक्ष सभी खसरा नम्बरों की भूमि से सहमत होने पर वाद पत्र व जवाब दावा में उल्लेखित भूमियों को बंटवारे में शामिल किया गया था। यदि जवाब दावा में उल्लेखित भूमियां खसरा नम्बर 750/461,749/461 को बंटवारा में शामिल हेतु वादी सहमत नही होता तो प्रतिवादी संख्या 1,2,4 प्राथमिक डिक्री की सहमती प्रदान नहीं करता तथा वाद पत्र मैरिट के आधार पर जरिये साक्ष्य सबूत के आधार पर ही सुनवाई होकर वाद पत्र का निस्तारण किया जाकर बंटवारा किया जाता, लेकिन एक तरफ वादी पूर्ण सहमती प्रदान की है, दूसरी तरफ प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद रिव्यू आवेदन पेश कर विचारण न्यायालय से उक्त खसरा नम्बर की भूमि को यह कहते हुये प्राथमिक डिक्री से हटवा दिया गया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि नहीं है। जबकि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की ही थी, लेकिन भाई बंटवारा के समय प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में समोचन करवाया गा है न कि विक्रय किया गया है। जिस पर वादी सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई, इसलिये भी विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में रिव्यू आदेश दिनांक 20.04.2022 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.03.2022 को सहमती से जारी होने के बाद एक पक्ष के मन में बेईमानी आकर रिव्यू करवाने हेतु आवेदन पेश कर खसरा नम्बर 750/461 व खसरा नम्बर 749/461 को प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.03.2022 से हटवाने का रिव्यू आदेश दिनांक 20.04.2022 को पारित करने से प्राथमिक डिक्री सहमती की प्राथमिक डिक्री नहीं रही है तथा प्राथमिक डिक्री का स्वरूप ही बदल गया तथा सभी भूमियां बंटवारा हेतु विवादित हो गयी है, इस कारण आदेश 47 नियम 8 सीपीसी के तहत पुनः सुनवाई हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये थी, जिससे पक्षकार अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने के बाद सही न्याय निर्णय होता, किन्तु विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ जाकर आलौच्य रिव्यू आदेश व निर्णय दिनांक 20.04.2022 पारित किया है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2007(1)

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पेज 533, आर.एल.डब्ल्यू 2007(1) पेज 397, आर.एल.डब्ल्यू 2007(1) पेज 616, आर.एल.डब्ल्यू 2007(1) पेज 204 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी ने एक दावा खसरा नम्बर 382,392 से 395 व 456 किता 6 कुल रकबा 7.94 हैक्टेयर ग्राम सिंहासन एवं खसरा नम्बर 14,15,16 किता 3 कुल रकबा 2.61 हैक्टेर वाके ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमियों बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उक्त भूमि खसरा नम्बर 749/461 व 750/461 बाबत ना तो कोई अंकन है ना ही वाद में कोई सहायता चाही है। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 4 ने अपने जवाब दावा में उक्त भूमि को वादी प्रतिवादीगण के पिता की खरीदशुद्वा भूमि बताई गई है। उसकी मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर उनके पिता द्वारा किये गये बंटवारे के बाद खरीद शुद्वा भूमि को भी बंटवारा शामिल किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 तथा उनकी माता दड़की देवी ने वादी के नाम समोचन करवाया था। विवादित खसरा नम्बर 382,392 से 395 व 456 कुल किता 6 कुल रकबा 7.94 हैक्टेयर ग्राम सिंहासन एवं खसरा नम्बर 14,15,16 कुल किता 3 कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर वाके ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर की खातेदारी संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है। जबकि खसरा नम्बर 749/461 व 750/461 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। किसी भी संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवारा किया जाना है वह उस भूमि के खातेदार होने चाहिए। बिना खातेदारी के अन्य पक्षकारों में उक्त भूमि का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से रिव्यु आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने एक दावा

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 382,392 से 395 व 456 किता 6 कुल रकबा 7.94 हैक्टेयर ग्राम सिंहासन एवं खसरा नम्बर 14,15,16 किता 3 कुल रकबा 2.61 हैक्टेर वाके ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमियों बावत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उक्त भूमि खसरा नम्बर 749/461 व 750/461 बाबत ना तो कोई अंकन है ना ही वाद में कोई सहायता चाही है। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 4 ने अपने जवाब दावा में उक्त भूमि को वादी प्रतिवादीगण के पिता की खरीदशुद्वा भूमि बताई गई है। उसकी मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर उनके पिता द्वारा किये गये बंटवारे के बाद खरीद शुद्वा भूमि को भी बंटवारा शामिल किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 तथा उनकी माता दड़की देवी ने वादी के नाम समोचन करवाया था। विवादित खसरा नम्बर 382,392 से 395 व 456 कुल किता 6 कुल रकबा 7.94 हैक्टेयर ग्राम सिंहासन एवं खसरा नम्बर 14,15,16 कुल किता 3 कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर वाके ग्राम हरदयालपुरा तहसील व जिला सीकर की खातेदारी संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है। जबकि खसरा नम्बर 749/461 व 750/461 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। किसी भी संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवारा किया जाना है वह उस भूमि के खातेदार होने चाहिए। बिना खातेदारी के अन्य पक्षकारों में उक्त भूमि का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से रिव्यु आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर